रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245909
CG-DL-E-17052023-245909

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2099] नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2023/वैशाख 27, 1945
No. 2099] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2023/VAISAKHA 27, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2023

का.आ. 2192(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 में का.आ. सं. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1)	डॉ. अशित कुमार मुखर्जी, 29/43, पंच कोरी घोष रोड़, बारिशा, कोलकाता-700008	अध्यक्ष;
(2)	डॉ. निलांग्शू भूषण बासू, 7ए, तिनकारी घोष लेन, कालीघाट, कोलकाता-700026	सदस्य;
(3)	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, पश्चिमी बंगाल सरकार	सदस्य-सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

(1)	डॉ अनिरबान गुप्ता, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, डंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस एंड टैक्नोलॉजी, शिबपुर, हावड़ा- 711103, पश्चिमी बंगाल	-अध्यक्ष;
(2)	डॉ प्रदीप कुमार सिकदर, पर्यावरण प्रबंधन विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेल्फेयर एंड बिजनेस, मैनेजमैंट(आईआईएसडब्लयूबीएम), मैनेजमैंट हाउस, कॉलेज स्क्वेयर (पश्चिम), कोलकाता-700073	सदस्य;
(3)	डॉ. सुचंद्र बर्धन, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर , जाधवपुर यूनिवर्सिटी, जाधवपुर, कोलकाता-700032	सदस्य;
(4)	डॉ. सम्पा चक्रबर्ती, फ्लैट नं.- जे-103, बीआईपी एन्कलेव, बीआईपी रोड़, पीओ-देशबंधू नगर, कोलकाता-700059	सदस्य;
(5)	डॉ अनिरुद्ध मुखोपाध्याय 35 बेलीगंगे सर्कुलर रोड़, पर्यावरण विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता-700019	सदस्य;
(6)	श्री सुभेन्दू बंधोपाध्याय, आई.एफ.एस. (सेवानिवृत्त) हरि कुटीर, 2084, राजडंगा मेन रोड़, कोलकाता-700107	सदस्य;
(7)	डॉ. इंद्रनाथ सिन्हा डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टैक्नोलॉजी, शिबपुर, हावड़ा-711103	सदस्य;
(8)	सदस्य सचिव, पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।	सचिव ।

6. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

7. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(1) प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्य-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावक से जुड़े हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए कोई परामर्श या सहयोग नहीं लेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; तथा

(2) यदि पिछले पांच वर्षों में, अध्यक्ष या प्राधिकरण और समिति के किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे समर्थकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण और समिति की बैठक बचाव करेंगे।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

11. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/2/2023-आई.ए.III]

डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2023

S.O. 2192(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India of the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereafter in this notification referred to as the said notification), the Central Government, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority for West Bengal (hereafter in this notification referred to as the Authority) comprising of following persons, namely: -

(1)	Dr. Ashit Kumar Mukherjee, 29/43, Panch Kori Ghosh Road, Barisha, Kolkata-700008.	Chairman;
(2)	Dr. Nilangshu Bhusan Basu, 7A, Tinkari Ghosh Lane, Kalighat, Kolkata-700026.	Member;
(3)	Chief Environment Officer State Government of West Bengal.	Member –Secretary.

2. The Chairman and member of the Authority shall hold office for a term not exceeding three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5.

5. For the purpose of assisting the Authority, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee (hereafter in the notification referred to as the Committee), West Bengal comprising of the following persons, namely: -

(1)	Dr. Anirban Gupta, Department of Civil Engineering, Indian Institute, of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah-711103, West Bengal.	Chairman;
(2)	Dr. Pradip Kumar Sikdar. Department of Environment Management, Indian Institute of Social Welfare and Business, Management (IISWBM). Management House, College Square (West), Kolkata-700073)	Member;
(3)	Dr. Suchandra Bardhan, Department of Architecture, Jadavpur University, Jadavpur, Kolkata-700032.	Member;
(4)	Dr. Sampa Chakrabarti, Flat No-J-103, V.I.P Enclave, V.I.P Road, P.O- Deshbandhu Nagar, Kolkata-700059.	Member;
(5)	Dr. Aniruddha Mukhopadhyay 35Ballygunge Circular Road, Department of Environmental Science, University of Calcutta,	Member;

Kolkata-700019.

(6)	Shri. Shubhendu Bandyopadhyay, I.F.S (Retd) Hari Kutir, 2084, Rajdanga Main road, Kolkata-700107.	Member;
(7)	Dr. Indranath Sinha Department of Mining Engineering Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, Howrah - 711103.	Member;
(8)	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.	Secretary.

6. The Chairman and members of the Committee, West Bengal shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. In order to avoid any conflict of interest, -

(1) he Chairman and members of the Authority, and the Committee shall,-

(a.) declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b.) not undertake any consultation or association with regard to preparation of Environment Impact Assessment and Environment Management Plan for project, which is to be decided by the Authority, or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(2) If in the preceding five years, the Chairman or any member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted Environment Impact Assessment studies for any project proponent, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee from the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

8. The Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach consensus in each case, and if they fail to reach consensus the view of the majority shall prevail.

10. The Government of West Bengal shall specify an agency to act as Secretariat of the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and members of the Authority, West Bengal and the Chairman and members of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Government of West Bengal.

[F. No. IA3-13/2/2023-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE , Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA